पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 22 फाल्गुन, 1936 (श0)
13 मार्च, 2015 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 03

(1) स्वास्थ्य विभाग	.. ..	02
(2) ऊर्जा विभाग	.. ..	01
	कुल योग —	03

ऊर्जान्वित कराना

1. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नाबार्ड फेज 8, 11 योजना के तहत 2,740 अदद् राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में 1 अरब 8 करोड़ 99 लाख 5 हजार रुपये का भुगतान पावर होल्डिंग कम्पनी को स्वचालित नलकूपों तक बिजली पहुँचाने हेतु नलकूप प्रभाग, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अबतक 2,740 अदद् राजकीय नलकूप को पावर होल्डिंग कम्पनी द्वारा ऊर्जान्वित नहीं कराई गई है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

औचित्य बतलाना

2. डॉ० अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 26 जनवरी, 2015 के अंक में छपी खबर "सूबे के 23 जिलों में रूका विटामिन ए अभियान" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले 24 दिसम्बर, 2014 से एक सप्ताह तक चले अभियान में राज्य के मात्र 15 जिलों में ही बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई और शेष 23 जिलों में अभियान नहीं चल सका ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी के कारण राज्य के 80 लाख बच्चे विटामिन ए की खुराक पाने से वंचित रह गये हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य के 80 लाख बच्चों को विटामिन ए की खुराक से वंचित कराने का क्या औचित्य है ?

कार्रवाई करना

3. श्री विक्रम कुँवर--दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "आखिर इस घोटाले की दवा क्या है" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दवा सप्लाई करने वाली स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी वी० एम० एस० आई० सी० एल० में दवा घोटाला उजागर होने के बावजूद एजेंसी ने राज्य स्वास्थ्य समिति के दर को अनदेखी करते हुये दो ब्लैक लिस्टेड कम्पनियों से 20.60 करोड़ की दवा खरीदी जिसमें 14.48 करोड़ की 53 तरह की दवाएँ अधिक दर पर खरीदी गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 13 मार्च, 2015 (ई०)।

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 149-डी०टी०पी०-450